न्यायालय सहायक कलक्टर, (SDO) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :– श्री नीरज मिश्र आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 175/2019

वादीगण		प्रतिवादीगण
1 किस्तुराराम 2 लाखाराम 3 मांगीलाल 4 जसराज पिसरान वीराराम जाति कुम्हार निवासी नारणोणियों की ढाणी, भाड़खा तहसील व जिला बाडमेर।	बनाम	1 वीराराम पुत्र खीमाराम जाति कुम्हार निवासी नारणोणियों की ढाणी, भाड़खा तहसील व जिला बाडमेर 2 शाखा प्रबन्धक राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा भाड़खा बाडमेर।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 RTA Act.

उपस्थिति :– 1. श्री देवीलाल कुमावत, वकील वादीगण।
2. श्री भजनलाल गोदारा, वकील प्रतिवादी संख्या 01।

निर्णय

दिनांक 16.11.19....

संक्षिप्त में वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद कथन इस प्रकार है कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01, खीमाराम के वंशज है तथा हिन्दु होने से हिन्दु विधि से शासित है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 की पैतृक भूमि मौजा नारणोणियों की ढाणी पटवार क्षेत्र भाड़खा तहसील व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 185/89 रकबा 62.02 बीघा व खसरा संख्या 329/89 रकबा 17.12 बीघा कुल रकबा 79.14 बीघा भूमि आई हुई है। वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी संख्या 01 के पिता खीमाराम की फौतगी पर वादीगण के पिता प्रतिवादी संख्या 01 वीराराम के नाम दर्ज हुई। वादीगण, प्रतिवादी संख्या 01 वीरारामके विधिक वारिस है। वादीगण का वादग्रस्त भूमि में जन्म से ही हित निहित हो गया है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 प्रत्येक का वादग्रस्त भूमि में 1/5–1/5 हिस्सा खातेदारी का बनता है, जिसे घोषित करवाने की वादीगण अधिकारी है।

वकील प्रतिवादी संख्या 01 वीराराम की और से वाद कथन को स्वीकार करते हुए ईकबाली जवाब एवं राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि पैतृक है। वादीगण, प्रतिवादी संख्या 01 वीराराम के वंशज होने के कारण पैतृक भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 प्रत्येक का 1/5–1/5 हिस्सा जन्म से निहित है। वादीगण को उक्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 01 के साथ सहखातेदार घोषित कर 1/5–1/5 हिस्सा खातेदारी का घोषित किया जाता है तो उसे कोई आपति नही है।

वादी संख्या 01 किस्तुराराम एवं प्रतिवादी संख्या 01 वीराराम द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य शपथ पत्र सामिल मिसल किया गया। वादी संख्या 01 किस्तुराराम एवं प्रतिवादी संख्या 01 वीराराम द्वारा शपथ पत्र में अंकित किया कि वाद पत्र में अंकित समस्त कथन सही है।

उभय पक्षों की बहस सुनी गई। वकील वादीगण द्वारा वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि पैतृक भूमि है। पैतृक भूमि में वादीगण का जन्म से हिस्सा निहित है। लिहाजा वादीगण को प्रतिवादी संख्या 01 वीराराम के साथ सहखातेदार घोषित करते हुए प्रत्येक का 1/5–1/5 हिस्सा घोषित किया जावे।

सहायक कलक्टर
(SDO) बाड़मेर

Scanned by CamScanner

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के संलग्न दस्तावेज खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2012 से 2031 एवं जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 एवं राजीनामा का भी अवलोकन किया गया। उक्त दस्तावेजात के आधार पर वादग्रस्त भूमि पैतृक होना प्रमाणित है तथा पैतृक भूमि में वादीगण का हिस्सा जन्म से निहित है। माफिक राजीनामा वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 वीराराम के साथ अपना हिस्सा घोषित करवाने के अधिकारी है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी ज्ञात होता है कि प्रतिवादी संख्या 01 वीराराम का हिस्सा राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा भाड़खा के पक्ष में रहन है।

अतः वादीगण का वाद माफिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर मौजा नारणोणियों की ढाणी पटवार क्षैत्र भाड़खा तहसील व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 185/89 रकबा 62.02 बीघा व खसरा संख्या 329/89 रकबा 17.12 बीघा कुल रकबा 79.14 बीघा भूमि में वादीगण को प्रतिवादी संख्या 01 वीराराम के साथ सहखातेदार घोषित किया जाकर वादीगण एवं प्रतिवादी 01 प्रत्येक का 1/5–1/5 हिस्सा खातेदारी का घोषित किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 01 वीराराम का हिस्सा राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा भाड़खा में रहन है। **अतः तहसीलदार बाडमेर निर्णय की पालना रहन मुक्ति के पश्चात करें।** खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे। डिकरी पर्चा मुर्तिब हो। पत्रावली सुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नीरज मिश्र)
उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
बाड़मेर

सहायक कलक्टर (SDO) बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक 16|1|2025 को सरें इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
बाड़मेर

सहायक कलक्टर (SDO) बाड़मेर

Scanned by CamScanner

(न्या)यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बाड़मेर

पीठासन अधिकारी श्री नीरज मिश्र (आर.ए.एस.) अन्तिम डिक्री

अनवान

वादीगण		प्रतिवादीगण
1 किस्तुराराम 2 लाखाराम 3 (म)गीलाल 4 जसराज पिसरान वीराराम जाति कुम्हार निवासी नारणोणियों की ढाणी, भाड़खा तहसील व जिला बाडमेर।	बनाम	1 वीराराम पुत्र खीमाराम जाति कुम्हार निवासी नारणोणियों की ढाणी, भाड़खा तहसील व जिला बाडमेर 2 शाखा प्रबन्धक राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा भाड़खा बाडमेर।

दावा बाबत् 88 रा.का.अ.

मुकदमा नम्बर :– 175/2019

निर्णय दिनांक :– 16.11.2019

वकील वादीगण एवं वकील प्रतिवादी संख्या 01 की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 16.11.19 को श्री नीरज मिश्र, सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बाडमेर के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और अन्तिम डिकरी निम्नप्रकार दी जाती है कि :–

अतः वादीगण का वाद माफिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर मौजा नारणोणियों की ढाणी पटवार क्षैत्र भाड़खा तहसील व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 185/89 रकबा 62.02 बीघा व खसरा संख्या 329/89 रकबा 17.12 बीघा कुल रकबा 79.14 बीघा भूमि में वादीगण को प्रतिवादी संख्या 01 वीराराम के साथ सहखातेदार घोषित किया जाकर वादीगण एवं प्रतिवादी 01 प्रत्येक का 1/5–1/5 हिस्सा खातेदारी का घोषित किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 01 वीराराम का हिस्सा राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा भाड़खा में रहन है। **अतः तहसीलदार बाडमेर निर्णय की पालना रहन मुक्ति के पश्चात करें।** खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे।

यह आज तारीख 16.11.19 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(सहायक कलक्टर (SDO) बाड़मेर)

(नीरज मिश्र)

सहायक कलक्टर (SDO) बाड़मेर

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बाडमेर

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1 वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3 प्रदर्शो के लिए स्टाम्प 4 .... रूपये पर प्लीडर की फीस 5 साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 6 कमिश्नर की फीस 7 आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्पस प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	

F:\SDM Barmer\Lalit II Joshi\PD\PD Abhiyan.docx

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified

Digitally signed by Neeraj Mishra

Date: 2020.01.20 13:23:41 IST

Reason: SelfAttested

Location: